

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक- प.1(3)राज-6/2011/पार्ट/14

जयपुर, दिनांक: 16.10.2014

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रावधान लागू करने हेतु अवाप्त भू-क्षेत्र की सीमा "ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार हैक्टर" तथा "शहरी क्षेत्रों में दो सौ हैक्टर" निर्धारित करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी/राजस्व मंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को 16/X/2014 असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव